

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-16/2016-35 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमुर (भभुआ)/गया/जहानाबाद /अरवल/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/ जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया / कटिहार/खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 34.00 करोड़ रु० (चौतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹20,40,00,000 (बीस करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3118 दिनांक-18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 34.00 करोड़ रु० (चौतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹20,40,00,000 (बीस करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹20,40,00,000 (बीस करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0125-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-P2401007890125, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. मुख्य सचिव बिहार, पटना के निदेशानुसार जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें राशि उपआवंटित नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

३५ (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

३५ (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

३५ (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकलीन स्थिति उत्पन्न होने के अंतर्गत सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत राशि का विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3118 दिनांक-18.07.2016 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890125 (राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	4,85,65,000	2,91,39,000
2	जिला पदाधिकारी, पटना।	1,01,70,000	61,02,000
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा।	1,02,11,000	61,26,600
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर।	90,71,000	54,42,600
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर।	76,91,000	46,14,600
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास।	1,45,00,000	87,00,000
7	जिला पदाधिकारी, भुआ।	82,25,000	49,35,000
8	जिला पदाधिकारी, गया।	1,09,01,000	65,40,600
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।	37,58,000	22,54,800
10	जिला पदाधिकारी, अरवल।	28,75,000	17,25,000
11	जिला पदाधिकारी, नवादा।	63,11,000	37,86,600
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।	1,10,57,000	66,34,200
13	जिला पदाधिकारी, सारण।	99,45,000	59,67,000
14	जिला पदाधिकारी, सिवान।	94,54,000	56,72,400
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।	85,91,000	51,54,600
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	1,23,10,000	73,86,000
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	1,39,95,000	83,97,000
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	1,07,33,000	64,39,800
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	72,53,000	43,51,800
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर।	19,23,000	11,53,800
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली।	64,61,000	38,76,600
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा।	78,43,000	47,05,800
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी।	1,06,67,000	64,00,200
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर।	88,85,000	53,31,000
25	जिला पदाधिकारी, बेगुसराय।	72,51,000	43,50,600
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।	31,77,000	19,06,200
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय।	32,99,000	19,79,400
28	जिला पदाधिकारी, शेखपूरा।	23,94,000	14,36,400
29	जिला पदाधिकारी, जमुई।	42,21,000	25,32,600
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर।	69,68,000	41,80,800
31	जिला पदाधिकारी, बाँका।	67,86,000	40,71,600
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा।	64,78,000	38,86,800
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल।	74,11,000	44,46,600
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।	65,79,000	39,47,400
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	87,77,000	52,66,200
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	57,30,000	34,38,000
37	जिला पदाधिकारी, अररिया।	78,06,000	46,83,600
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार।	68,19,000	40,91,400
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया।	49,09,000	29,45,400
	कुल	34,00,00,000	20,40,00,000

कुल- (बीस करोड़ चालीस लाख रूप) मात्र।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।